जिला आपदा प्रबन्धन योजना

अध्याय–1

–:प्रस्तावनाः–

सामान्य तौर पर आपदा का तात्पर्य किसी ऐसी दुर्घटना से लगाया जाता है, जिसका सामना करने के लिये कोई व्यक्ति या समूह अपने आप में तैयार एवं समर्थ न हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 में आपदा को दैवी, मानव जनित दुर्घटना अथवा लापरवाही से हुई किसी ऐसी बडी दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें व्यापक जन–धन की हानि, पर्यावरण की क्षति कारित हो तथा प्रभावित क्षेत्र के लोग उसका सामना करने में असमर्थ हों। परम्परागत रूप से दैवी आपदा जैसे बाढ, सूखा, अग्निकाण्ड, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि आदि के उपरान्त पीडितों को राहत सहायता उपलब्ध कराना राज्यों का मुख्य कार्य होता रहा है। नयी परिस्थितियों में अनेक मानव जनित दुर्घटनाएं इस प्रकार की हो सकती है, जिनका असर दैवी आपदाओं के बराबर या सबसे अधिक हो। इसी कारण आपदा की वर्तमान अवधारणा में दैवी आपदाओं के साथ ही मानव जनित कारकों को भी शामिल किया गया है तथा आपदा प्रबन्धन में पूर्व तैयारी एवं पुनर्वास का राष्ट्रीय नेटवर्क, राहत वितरण के साथ ही शामिल किया गया है। वर्तमान में आपदा प्रबन्धन का उद्देश्य इस तरह की घटनाओं को यथा सम्भव रोकना, आपदा के प्रभाव को कम करना, आपदा के दौरान सीधे मदद पहुॅचाना, प्रभावितों को आपदा से उबरने में मदद एवं उनका पुनर्वास कराना है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन दिनांक 17.04.2012 को किया गया है। जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय/राज्य स्तर से बनायी गयी नीतियों का अनुपालन एवं अनुश्रवण, जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं में बेहतर ताल मेल स्थापित कर आपदा की पूर्व तैयारी, आपदा की दशा में त्वरित कार्यवाही तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों का बेहतर संचालन करना है।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के अध्यक्ष पदेन जिलाधिकारी सहित कुल 07 सदस्य हैंः–

1–	जिलाधिकारी मैनपुरी	अध्यक्ष
2–	अध्यक्ष, जिला पंचायत मैनपुरी	सह अध्यक्ष
3–	पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी	सदस्य
4–	अपर जिलाधिकारी मैनपुरी (वित्त/राजस्व)	सदस्य
5–	मुख्य चिकित्साधिकारी मैनपुरी	सदस्य
6–	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3,ला0नि0वि0 मैनपुरी	नामितपदेन सदस्य
7–	अधिशासी अभियन्ता निचली गंगा नगर मैनपुरी	नामितपदेन सदस्य

<u>अन्य पदाधिकारीगणः–</u>

1–	उपजिलाधिकारी मैनपुरी	सचिव
2–	मुख्य कोषाधिकारी मैनपुरी	कोषाध्यक्ष
3–	अधिशासी अभियन्ता जल निगम मैनपुरी	सदस्य
4–	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मैनपुरी	तकनीकी सदस्य

जनपद मैनपुरी में परम्परागत रूप से बाढ, सूखा की अलग–अलग प्रबन्ध योजना बनती रही है। जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के बाद उसकी देख–रेख में एकीकृत प्रबन्ध योजना बनायी जा रही है।

मैनपुरी की आपदा प्रबन्धन योजना को 04 भागों में बॉटा गया है। सुविधा के लिये प्रत्येक भाग में कुछ अध्याय बनाये गये हैं। प्रथम भाग में ऐसे विषयों को रखा गया है, जो विभिन्न आपदाओं की तैयारी एवं जोखिम न्यूनीकरण की योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने, क्षमता विकास अदि से सम्बन्धित हैं। द्वितीय भाग जिले से सम्बन्धित आपदाओं के प्रबन्धन से सम्बन्धित है। तृतीय भाग में महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर, जिले का नक्शा आदि हैं। चतुर्थ भाग रिपोर्टिंग व्यवस्था आदि विषय हैं।

जनपद मैनपुरी एक परिचय

जनपद मैनपुरी तीन तहसीलों– मैनपुरी, भोगॉव एवं करहल से मिलकर बना है, जो आगरा मण्डल के अन्तर्गत आता है, जो लखनऊ से लगभग 265 कि0मी0 दूरी पर पश्चिम में है, इसके उत्तर पूर्व में जनपद फर्रूखाबाद, पूर्व में कन्नौज, उत्तर में एटा एवं दक्षिण में जनपद इटावा,पश्चिम में जनपद फिरोजाबाद स्थित है। जनपद की प्रमुख नदियां काली, ईसन, सेंगर, अरिन्द व काक नदियां हैं जो मैनपुरी सीमा के अन्तर्गत बहती हैं। तहसील भोगॉव के अन्तर्गत बहने वाली काली नदी व ईसन नदी है। इसी प्रकार तहसील करहल के अन्तर्गत अरिन्द, काक व सेंगर नदी हैं। तहसील मैनपुरी में मुख्यतः ईसन, अरिन्द व सेंगर नदियॉ हैं।

जनपद मैनपुरी का क्षेत्रफल 2760 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 03 तहसील, 09 विकास खण्ड, 80 न्याय पंचायतें तथा 503 ग्राम पंचायतें है। 820 आबाद व 031 गैर आबाद ग्राम है। एक नगर पालिका व 08 नगर पंचायतें हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1868529 है। जनपद की मुख्य फसलेंः– **गेंहूँ, धान, मक्का, बाजरा, मूगफली, आदि मुख्य फसलें हैं।**

अध्याय–2
आपदा–इतिहास एवं सम्भावना

जनपद मैनपुरी में बाढ, सूखा, अग्निकाण्ड, ऑधी तूफान, ओलावृष्टि, शीत लहरी जैसी परम्परागत दैवी आपदाऐं आती रही हैं।

1– बाढ

विगत वर्षों के बाढ के इतिहास को देखते हुए बाढ आने पर सबसे अधिक क्षति काली नदी से होती हैं। वर्ष 1980 के बाद से अब तक जनपद को किसी गंभीर बाढ का सामना नहीं करना पडा है, क्योंकि जनपद की औसत वर्षा 750 मिली मीटर है तथा जनपद में काली नदी के अतिरिक्त अन्य कोई बडी अर्न्तराज्यीय/अर्न्तजनपदीय नदी नहीं गुजरती है।

2–सूखा

जनपद में अनावृष्टि के कारण गत तीन वर्षों में सूखे की स्थिति पैदा नहीं हुई है। सूखे के कारण अब तक ऐसी स्थित नहीं आयी है, जिसमें किसी गॉव की आबादी या पशुओं को दूसरे स्थान पर ले जाना पडा हो अथवा टैंकरों से जलापूर्ति करनी पडी हो। भुखमरी की स्थिति भी अब तक नहीं पैदा हुई है।

3–अग्निकाण्ड

जनपद के विभिन्न भागों में अग्निकाण्ड से प्रतिवर्ष नुकसान होता रहता है। अग्निकाण्ड की घटनाऐं प्रायः फरवरी से जून तक के महीने में होती हैं।

4– ओलावृष्टि एवं शीतलहरी

ओलावृष्टि एवं शीतलहरी से यदा–कदा धन एवं जन हानि होती है। ऑधी तूफान से भी जन–धन की हानि हुई है, किन्तु ओलावृष्टि, शीतलहरी, ऑधी तूफान से किसी बडी घटना का इतिहास इस जनपद का नहीं है।

5–भूकम्प एवं साइक्लोन (चक्रवात)

भूकम्प एवं साइक्लोन का कोई इतिहास इस जनपद का नहीं रहा है।

6–मानव जनित आपदाओं की आशंका

जनपद मैनपुरी का कोई इतिहास मानव जनित आपदाओं के सन्दर्भ में नहीं रहा है। वर्तमान कार्य योजना में इसे शामिल किया गया है, क्योंकि किसी आपात स्थिति से निपटने हेतु संसाधनों की पहचान एवं मानसिक तैयारी, खतरे की जानकारी एवं बचाव के उपायों की जानकारी से इस प्रकार के खतरों से कुशलता पूर्वक निपटा जा सकता है।

अध्याय–3
आपदा प्रबन्धन में विकास कार्यों की भूमिका

आपदाऐं व्यापक पैमाने पर जन–धन को क्षति पहुॅचाती हैं और इसका सीधा नुकसान विकास कार्यों को पहुॅचता है। विकास की स्थिरता एवं निरन्तरता के लिए विकास के विभिन्न पहलुओं को आपदा–प्रबंधन से जोडने में है, जिससे क्षति कम से कम हो और क्षति की भरपाई शीघ्रता से हो सके। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए और इस पर बल देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपदा प्रबंधन पर पृथक से एक अध्याय दिया गया है। इसका उद्देश्य विकास योजनाओं से आपदा–प्रबंधन को जोडना है।

जिले स्तर पर बाढ, सूखा,सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, निर्माण आदि क्षेत्रों में गतिमान कई योजनाओं को विकास योजनाओं से सम्बद्ध किया जा सकता है। कार्यक्रमों एवं उनसे जुडे विभागों, अधिकारियों के कुछ उदाहरण निम्नवत् समझे जा सकते हैंः–

क्रमांक	नोडल अधिकारी	कार्यक्रम	कार्य कौन करेगा/कब करेगा
1	2	3	4
1	कलेक्टर/जिलाधिकारी	विभन्न विभागों के रोजगार कार्यक्रमों, जिला योजना, प्रदूषण–नियंत्रण, निर्माण आदि की निगरानी	विभागीय अधिकारी योजनाओं के कियान्वयन एवं मूल्यांकन के समय
2	मुख्य विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास के कार्यक्रम जैसे– रोजगार गारण्टी योजना	सूखा,बाढ, भूकम्प की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से रोजगार सृजन
3	अधिशासी अभियन्ता जन निगम	ग्रामीण पेयजल योजना	सूखा,बाढ, भूकम्प आदि के समय स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। अपनी पाइप लाइनों का रख–रखाब
4	जिला पंचायत राज अधिकारी	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	सफाई/पंचायत कर्मचारियों के माध्यम से स्वच्छता एवं

			जागरूकता सुनिश्चित कराना
5	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना आदि अन्य विभागीय योजनाएं	1– विद्यालयों को भूकम्प रोधी बनाना 2– विद्यालयों का रख–रखाव इस हिसाब से करना कि उसका उपयोग शरणालय के रूप में भी हो सके। 3– छात्रों एवं शिक्षकों के माध्यम से आपदा प्रबन्धन के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता पैदा कराना
6	जिला कृषि अधिकारी	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम	बाढ के समय नष्ट हुई फसलों की भरपाई हेतु देर से बोई जाने वाली प्रजातियों की उपलब्धता एवं जागरूकता। इसी प्रकार सूखे की स्थिति में कम पानी वाली फसलों के बीजों की उपलब्धता एवं जागरूकता।
7	पशु चिकित्साधिकारी	टीकाकरण आदि विभागीय कार्यक्रम	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का टीकाकरण, घायलों का इलाज एवं मृत पशुओं के उचित निस्तारण की व्यवस्था
8	मुख्य चिकित्साधिकारी	ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य विभागीय कार्यक्रम	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण, घायलों का इलाज एवं शवों के उचित निस्तारण की व्यवस्था
9	आवास एवं नगर विकास	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम	बिल्डिंग सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन, भूकम्प रोधी भवनों के निर्माण सम्बन्धी विधियों का अनुपालन
10	अधिशासी अभियन्ता, बाढ खण्ड	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम	डूब क्षेत्र का पर्यवेक्षण/नहरों/नालों का समुचित रख–रखाव एवं सुरक्षा
11	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम/ योजनाऐं	सूखे के समय नहरों से पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

संक्षेप में कहा जाय तो अपने विभागीय दिशा निर्देशों के अधीन विकास से सम्बन्धित सभी विभाग अपनी योजनाओं को बनाने एवं क्रियान्वयन में आपदा प्रबन्धन से जुडे विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखें तो एक ओर स्थिर विकास की अवधारण सफल होगी, दूसरी ओर आपदा प्रबन्धन से होने वाली क्षति भी कम होगी।

अध्याय–4

तैयारी एवं सटीक प्रतिक्रया

इस अध्याय में आपदा की तैयारी के सिलसिले में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जानी हैः–

1– उपलब्ध संसाधन

2– समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन

3– प्रशिक्षण, जागरूकता एवं पूर्वाभ्यास

4– इन्सीडेण्ट कमाण्ड सिस्टम

5– आपात कालीन केन्द्र

1– उपलब्ध संसाधन

जनपद में लगभग.....सरकारी कर्मचारी विभिन्न विभगाों में कार्यरत हैं। सिविल पुलिस, होमगार्ड के जवान भी आपदा कार्यों हेतु लगाये जा सकते हैं। एन0सी0सी0 तथा एन0एस0एस0 के स्वयं सेवकों की सेवायें भी ली जा सकती हैं। .....

2– समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन

सामुदायिक योजना बनाने का मुख्य कारण यह होता है कि व्यक्तियों और समुदाय की असुरक्षा कम की जाय और आपदाओं के विकारी असर को सहन करने की उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। अतः आवश्यक सामुदायिक योजना बनाने में लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। क्योंकि जबाबी कार्यवाही करने में सबसे पहले आगे आते हैं। आपदा की हालत में वही लोग सफल एवं उपयोगी होते हैं, जिनके पास चिकित्सीय या अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण होता है। आपदा से पहले तथा उसके पश्चात् के कुछ घण्टे लोगों के प्राण बचाने में बाहरी सहायता आने में वक्त लग जाता है। ऐसी हालत में समुदाय के प्रशिक्षित सदस्य जीवन रक्षक सम्पदा के रूप में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त खतरे को कम करने की दिशा में समुदाय एक विशेष भूमिका निभाते हैं। समुदाय की शिक्षा और सहयोग के बिना आपदा प्रबंध की कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकेगी।

इस आपदा प्रबन्ध योजना में समुदाय के प्रशिक्षण एवं जागरूकता सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए ग्राम स्तर तक की कार्य योजना बनाने तथा उनके प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास आदि की योजना रखी गयी है। ग्राम स्तरीय कार्य योजना बनाने के लिये चेक **लिस्ट अनुसग्नक–1 के रूप में भाग–4 में संलग्न है।**

3— प्रशिक्षण, जागरूकता एवं पूर्वाभ्यास

इस क्षेत्र में अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास के साथ ही ग्राम स्तरीय आपदा योजना बनानी होगी। प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है:—

समग्र प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रमः—

स्तर	मुख्य आयोजक	प्रतिभागियों का विवरण	कार्यक्रम का विवरण
जिला	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	जिला स्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से जुडे लोग	1— प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम दो भागों में चलाया जायेगा। प्रथम भाग में आवश्यक सूचनायें दी जायेगी। द्वितीय भाग में पूर्वाभ्यास (Mock Drill) करके व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। 2— सभी स्तरों पर सम्बन्धित अधिकारियों, संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया के दायित्वों पर भी चर्चा की जायेगी।
तहसील	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से जुडे लोग	
ब्लाक	खण्ड विकास अधिकारी	खण्ड विकास स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से जुडे लोग	
ग्राम	लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी	ग्राम स्तरीय अधिकारी, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य आदि	

4— इन्सीडेण्ट कमाण्ड सिस्टम

किसी दुर्घटना की स्थिति में अफरा—तरफी से बचने एवं त्वरित कार्यवाही हेतु एकीकृत नियंत्रण प्रणाली उपयोगी है। इस प्रणाली के मुख्य नियंत्रक जिला मजिस्ट्रेट हैं। भिन्न आपदाओं की प्रकृति के हिसाब से भिन्न इन्सीडेण्ट कमाण्डर बनाये गये हैं। मानव जनित आपदाओं जैसे जैव, परमाणु या रसायन हमले की स्थिति में पुलिस अधीक्षक इन्सीडेन्ट कमाण्डर हैं। बाढ,सूखा, भूकम्प आदि परम्परागत दैवी आपदाओं के लिये अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) इन्सीटेण्ट कमान्डर हैं।

इन्सीडेण्ट कमाण्ड के मुख्य कार्य

1— आपात स्थिति में संचार की समन्वित व्यवस्था।

2— त्वरित राहत/बचाव एवं खोज बलों को मौके पर भेजना एवं उनको आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।

3— विस्थापन कार्य का मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन

4— उपलब्ध संसाधनों की अपर्याप्तता की दशा में बाहरी सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाना।

5— आपात कालीन केन्द्र

राजस्व कन्ट्रोल रूम से भिन्न पर्याप्त मानव संसाधन एवं आधुनिक संचार सुविधाओं/उपकरणों से युक्त एक आपात कालीन केन्द्र कलक्ट्रेट मैनपुरी में स्थापित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी इसके प्रभारी होंगें। सामान्य दिनों में यह केन्द्र आपदा के प्रशिक्षण, जनजागरूकता एवं पूर्वाभ्यास से सम्बन्धित कार्य देखेगा तथा सैन्य एवं अर्ध सैनिक बलों से समन्वय रखेगा। यह केन्द्र केन्द्रीय जल आयोग, मौसम विभाग आदि से प्राप्त पूर्व चेतावनियों का अभिलेखीय करण करेगा तथा सर्व सम्बन्धित को सूचित भी करेगा। शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्टों को संकलित एव तैयार करने का कार्य भी करेगा।

भाग–2

रासायनिक हथियारों/पदाथों से सम्बन्धित आपदा

अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ/जहरीली गैसें, द्रव या ठोस रूप में भयानक आपदाएं पैदा कर सकती हैं, जो मनुष्यों, पशुओं, फसलों आदि के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इनमें से अधिकांश जलन, आन्तरिक अथवा वाह्य चोट अथवा अपंगता पैदा कर सकते हैं। हवा के माध्यम से फैलकर ये ऑख, फेफडा,चमडी आदि पर घातक असर डालते हैं। संक्रमित खाद्य पदार्थों के सेवन से पाचन क्रिया पर कुप्रभाव पडता है। भूमि, जल एवं वायु पर भी इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। इनकी गम्भीरता रसायन के प्रकार एवं मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार की आपदाएं दुर्घटनावश भी हो सकती है, और आसान उपलब्धता के कारण आतंकवादी भी इसका दुरूपयोग कर सकते हैं।

इस प्रकार के रसायनों का वर्गीकरण, उपयोग एवं विष की श्रेणी के आधार पर किया गया है।

1– उपयोग के आधार पर कुछ रसायन केवल सैन्य उपयोग के लिये हैं, इन्हें केमिकल वारफेयर (CW)कहा जाता है। Tabun(GA) ,Sarin(GB), Soman (GD),VX, SulfurMustar (HD),Lewisite(L),Hydrogen Cyanide(AC) Chlorine आदि इसके उदाहरण हैं।

2– दोहरे उपयोग के कुछ रसायनों का प्रयोग सैन्य तथा औद्योगिक इकाइयों में किया जाता हैः– chloethana, Ammnium Bifloride, Aresenic Tricholride, Benzilic Acid आदि इसके उदाहरण हैं।

3– कई औद्योगिक रसायन भी जहरीले होते है। Ammonia Aresenic, Chlorine,Sulfur Daioxide,Hidrogen Bromide आदि इसके उदाहरण है।

4– कीटनाशकों (Pesticide) जैसे कुछ रसासनों का उपयोग कृषि कार्यो में भी होता है। Herbicides सीधे फसलों को क्षति पहुॅचाते है।

मैंनपुरी में कोई इतिहास आतंकवादी घटना का नहीं है।

सम्भावित स्थल

1– भीड़ भाड़ वाले इलाके।

कार्य विभाजन

हमले के दौरान विभिन्न टीमें गठित कर कार्य निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा।

1.जांच दल– इसका मुख्य कार्य खतरे की पहचान एवं उसका निर्धारण करना होगा। यह दल संक्रमण/खतरे के श्रोत को न्यूट्रल करेगा साथ ही प्रयोगशाला में नमूनों की जांच एवं परीक्षण हेतु कार्यवाही भी करेगा।

2. विसंक्रमण दल–यह दल संक्रमण/खतरे पर नियंत्रण के साथ की व्यक्तियों/उपकरणों एवं क्षेत्र का विसंक्रमण/सफाई भी करेगा।

3. बचाव दल–यह दल क्षेत्र खाली करने के साथ ही लोगों की समस्याओं के अनुसार रास्ता आदि बताने में सहयोग करेगा। घायलों को अस्तपाल पहुंचाना तथा मेडिकल टीम का सहयोग करना इसका कार्य होगा।

4. चिकित्सा दल–दुर्घटना स्थल पर यथासंभव चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार देगा तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में सहयोग करेगा।

5. सुरक्षा अधिकारी–सुरक्षा एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अधिकारी होना चाहिए, जो सभी में समन्वय एवं अनुशासन रखे। अतिरिक्त संसाधनों की निम्नवत् व्यवस्था भी करेगा। जैसे–जनरेटर, पेयजल व्यवस्था, एम्बुलेंस, वाहन, मानव श्रम।

लघु मध्यम एवं दीर्घ अवधि की कार्य योजना

लघु समय (0–3वर्ष) में निम्न कार्य करने हैं:–

1. सुरक्षा की दृष्टि से विद्यमान प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाय।
2. अभिसूचना तंत्र का कुशल उपयोग।
3. खतरे और संवेदनशीलता के विश्लेषण का तंत्र विकसित करना।
4. प्रयोगशालाओं एवं अन्य संसाधनों का विकास/सचल प्रयोगशालाओं का भी प्रयोग
5. फण्ड की उपलब्धता।
6. मेडिकल टीमों का प्रशिक्षण एवं उपकरण।
7. जन–जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
8. स्वास्थ्य सुविधाओं एवं विसंक्रमण तथा विस्थापन की अत्याधुनिक व्यवस्था।

मध्यम समय (0–5वर्ष) में निम्न कार्य करने हैं:–

इस अवधि में मुख्य रूप से प्रथम चरण के कार्यो की पूर्णता एवं कुशलता देखनी है।

दीर्घ काल (0–8वर्ष) में निम्न कार्य करने हैं:–

इसमें सारे कार्यो का उपयोग देखना है तथा नयी परिवर्तनों के अनुसार उसमें परिवर्तन/संशोधन करना है। इस अवधि तक निम्न बिन्दुओं पर कार्य करने होंगे।

1. एकीकृत व्यवस्था में राष्ट्रीय आपात योजना सरकारी एवं प्राइवेट सभी अस्पतालों पर लागू किया जायेगा।
2. सम्पूर्ण सूचना तंत्र विकसित करना, जिसमें अस्पताल परिवहन, पुलिस, फायर आदि सभी आपातकालीन सेवाओं से संचार सम्बन्ध हो।
3. सभी प्रकार के खतरों को शामिल करने वाला प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क किया जाना।

क्या करें –क्या न करें

क्या करें:–

1. प्रभावित क्षेत्र खाली करें तथा आपदा प्रबन्धन नियंन्त्रण कक्ष के टेलीफोन नम्बर 05672–1077 तथा पुलिस/अस्पताल को तत्काल सूचित करें।
2. जहरीली गैसों के प्रभाव से यदि पक्षी मरते एवं गिरते दिखाई पड़े तो मकान अथवा कार्यालय जैसे बन्द ढाचें के अन्दर शरण लें तथा दरवाजे, खिडकियॉ, पंखे, एयरकंडीसनर बन्द कर दें।
3. रेडियों, टी0वी0 की घोषणाएं सुने और जब कहा जाए तब बाहर निकलें।
4. बाहर से घर आने पर तत्काल स्नान करें एवं कपड़े प्लास्टिक वैग में अलग रख दें।
5. यदि खुलें में हो तो मुंह व नाक गले कपड़े से बन्द रखें।
6. संक्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों/पदार्थो से दूर रहें।
7. 100 मी0 के दायरे को बंद किया जाय।
8. हवा की दिशा में 500 मी0 तक तत्काल खाली किया जाय।
9. पुलिस/अस्पताल को तत्काल सजग किया जाय।
10. Three colour detector pepar (TCD) और RVB Residual Vapeur Detection kit का प्रयोग कर Chemical agent खोज करना।
11. Chemical agent Monitar AP2C/CAM का प्रयोग कर Narve का पता करना। यदि है तो चर्म संक्रमण हटाने हेतु का प्रयोग करना।
12. स्पेक्ट्रोस्कोपी आधारित CAM का प्रयोग कर संक्रमित क्षेत्र का चिन्हींकरण या फ्लेम फोटोमेट्री आधारित मानिटर AP2C का प्रयोग।
13. विसंक्रमक सूट पहन कर क्षेत्र की सफाई सचल विसंक्रामक उपकरण और विसंक्रमण से करना।
14. प्रभावित व्यक्तियों को हटाने के लिए Casulty बैग का प्रयोग करना।
15. व्यक्तिगत सुरक्षा कवच किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा निम्नवत् पहनाया एवं उतारा जाय।

पहनने का क्रम	उतारने का क्रम
1.IPG Individul protective	1.विंसक्रमण किट से सफाई
2.shoes	.2.shoes
3.सर्जिकल और व्यूटाइल रबर दस्ताना	3.ब्यूटाइल रबर दस्ताना
4.मॉस्क एवं थैनिस्टर	4.IPG
	5.सर्जिकल दस्ताना
	6.थैनिस्टर एंव फेस मॉस्क

क्या न करें:–

1. किसी द्रव को न छुएं।
2. स्थल/पीड़ित के पास भीड़ न लगाएं।
3. हवा के अनुकूल दिशा में न जाएं।
4. अफवाह न फैलाएं।
5. बचाव में लगे लोग अपना सूट तब तक न उतारें जब तक सुरक्षित न घोषित कर दिया जाये।
6. किसी भी संक्रमित वस्तुं को न छुए। इन्हें सील प्लास्टिक बैग में ही रखें।
7. जब तक कहा न जाए अपने शरण स्थल से बाहर न निकलें।
8. नंगे पैर न निकलें।
9. अनावश्यक टेलीफोन न करें।

विषनाशक एवं जीवन रक्षक दवाओं शोधक/विष नाशक पदार्थो/आवश्यक उपकरणों एवं आपात कालीन किट हेतु आवश्यक सामग्रियों की सूची
अनुलग्नक–2

इस प्रकार की आपदा से निपटाने के लिए Standard opereting system (SOP) इस प्रकार है।

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटनरा के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1	कलेक्टर/जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा,आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिष्चित कराना, प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण
2	पुलिस अधीक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रासायनिक पदार्थों के भण्डारण, परिवहन पर सतर्क दृष्टि रखना तथा अभिसूचना एकत्र करना	खोज, बचाव, राहत , विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रया टीमों को स्थल पर भेजना । कानून व्यवस्था , ट्रफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना	विस्थापन क्षेत्र की घेराबन्दी, शरणालय/राहत केन्द्र, अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवश्यकतानुसार सैन्य/अद्धसैन्य बलों की मॉग, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शवों का निस्तारण

3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणें एवं अन्श्रय आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। प्रभावित क्षेत्रों को विसकंमित करना। परीक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत शिविरों/शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था। पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4	अपर जिलाधिकारी वि./रा.	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आपात कालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	राजस्व, विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को कियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत साम्रगी, राहत शिविरो की व्यवस्था।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीडितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोटिंग आदि कार्य
5	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभागों को कियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	पीड़ित व्यतियों को राहत पहुँचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/ पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचनाकरण, रिपोटिंग आदि करना।
6	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेय जल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संकमित न हुआ हो। संकमित पेय जल को विसंकमित करना। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल स्रोतों की मरम्मत।
7	विद्युत विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अपने विद्युत केन्द्रों पर अवॉछनीय व्यक्तियों को प्रवेश से रोकें तथा ऐसे किसी प्रसास की सूचना तत्काल पुलिस को दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विद्युत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिविरों में विद्युत आपूर्ति।	क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पुनर्निर्माण।
8	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिष्चित करना। ट्रन्सपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना	मांग के अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थेक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण। पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल,	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।

		डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण		
10	फायर बिग्रड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपालब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणें/संसाधनों के साथ पहुॅचकर राहत एवं बचाव कार्य करना	पुनर्वास कार्यों में मदद करना
11	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय
12	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य

परमाणु आपदा

यह मानव जनित आपदा है। परमाणु बम के हमले के अतिरिक्त दुर्घटना या आतंकवादी घटनाओं द्वारा रेडियोधर्मी पदार्थो के विकिरण के कारण इस प्रकार की आपदा आ सकती है। आतंकवादी कम शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल घनी आबादी वाले इलाकों, फसलों, खाद्य भण्डरों आदि पर करके अव्यवस्था एवं अराजकता फेलाने का प्रयास कर सकतें है। दुर्घटनाबश यह आपदा न्यूक्लियर प्लाण्ट पर आ सकती है या रेडियोधर्मी पदार्थो के परिवहन के दौरान हो सकती है। इस क्षेत्र में देश की संस्था Atomic Energy Regulatory board (AERB) है, जो Atomic Energy Act 1962 के तहत मुख्य नियंत्रक है। इसका पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण परिवहन, प्लाण्ट आदि पर रहता है। मुख्य खतरा इस आपदा से तब है जब यह हमले के रूप में हो।

मानव आदि काल से प्रकृति के श्रोतों से विकिरण की मात्रा लेता आ रहा है। भारत के केरल तटीय इलाकों, चीन, ब्राजील, ईरान आदि में इससे अधिक मात्रा में विकिरण लोगों को प्रकृति से ही मिलता रहता है। रेडिएशन का उपयोग मानव हित के विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता है–

1. विधुत उत्पादन में परमाणु विखंडन (Nuclear fission) का प्रयोग किया जाता है।
2. कोबाल्ट–60 और Cs–137 का इस्तेमाल खनन तथा गैस एवं तेल उघोग में किया जाता है।
3. कोबाल्ट–60 या Cs–137 का γ–श्रोत के रूप में मेडिकल उत्पादों, मांस, सब्जियों आदि के परिशोधन हेतु उपयोग होता है।
4. कैंसर के इलाज हेतु Teletherapy में गामा विकिरण का उपयोग किया जाता है।

परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपदा उस स्थिति को कहते है, जब परमाणु हमले या रिसाव के कारण विकिरण अत्यधिक हो।

परमाणु विस्फोट का प्रभाव–विस्फोट का प्रभाव परमाणुअस्त्र के प्रकार एवं विस्फोट की ऊँचाई, हवा के रूख आदि पर निर्भर करता है। मानव–प्रकृति पर यह असर तीन प्रकार से पडता है।

1. विस्फोट प्रभाव–अचानक विस्फोट से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, जिससे अत्याधिक गर्मी और आस–पास के हवा में दबाव बन जाता है। गर्म और संघनित (Compressed) वायु फेलती है और तेजी से ऊपर उठती है, जिससे पृथ्वी पर, पानी में शक्तिशाली कम्पन पैदा होता है। इससे सम्पत्ति की व्यापक क्षति होती है। तेज आवाज से कान खराब हो जाता है। इससे अत्यन्त गतिशील हवा भी चलती है, जिससे चीजें उड़ने लगती है।

2. गर्मी का प्रभाव–अत्यधिक गर्मी, तीव्र चमक वाला प्रकाश पैदा करती है और इससे गर्मी विकिरण होता है, जिससे आग लग जाती है तथा कई कि0मी0 तक फैल जाती है। अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के मिलने जाने से आग का तूफान सा आ सकता है।
3. विकिरण–शुरू के एक मिनट में प्रारम्भिक विकिरण का प्रभाव कुछ दूरी में रहता है। इसके बाद गैस या धूल कणों के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ धरती पर गिरते हैं, तथा कई सौ कि0मी0 तक के क्षेत्रफल को संक्रमित कर सकतें है, जिसका असर व्यक्ति पर आजीवन, आने वाली पीढ़ियों तक पड़ सकता है।

उक्त से निपटने के लिये विशेष मेडिकल तैयारी भी करनी चाहिए–

1. विसंक्रमित कक्ष का निर्माण–चिन्हित अस्पताल में पर्याप्त उपकरण एवं औषधियों युक्त एक कक्ष होना चाहिए।
2. धूल रहित वायु–इलाज के लिये एक ऐसा वार्ड होना चाहिए, जहॉ शुद्व वायु मिल सके।
3 रेडियोएक्टिव वस्तओं के निस्तारण की पृथक से व्यवस्था होनी चाहिए। मानव रहित क्षेत्र में एक टेंक होना चाहिए।
4. सुसज्जित सचल दस्ते भी होने चाहिए जो राहत बचाव कार्य कर सके।
5. सुरक्षित उपकरणों से युक्त विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित टीमें सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुॅचगी। इनके पास आवश्यक उपकरण होंगे। उपकरणों/यंत्रों की सूची अनुलग्न–3 पर है।
6. पुलिस एवं फायर सर्विस के कर्मचारी भी पर्याप्त प्रशिक्षित एवं सुसज्जित होंगे।
7. जिले में रडियोएक्टिव पदार्थो का उपचार करने हेतु प्रशिक्षित एवं सुसज्जित स्टॉफ, डाक्टर, एम्बुलेंस एवं अस्पताल की यूनिट तैयार करनी होगी। आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों के साथ होनी चाहिए।
8. इन कार्यो के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य उत्तरदायी होगें। प्रशिक्षिण आदि के उपरान्त घटना के उपरान्त बाहरी संहायता के लिए भी उचित स्तर पर बातचीत करेंगें।
9. विकिरण मॉनिटर संवेदनशील स्थानों पर लगाए जा सकते है, जो नजदीकी थाने से जुड़े हो। साथ ही पुलिस वाहनों में भी ये उपकरण लगाए जा सकते है। जिले के बम निरोधी दस्ते के पास विकिरण खोजी उपकरण होना चाहिए। इनके अतिरिक्त जांच आदि कार्य के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भी होनी चाहिए, जो वर्तमान में सबसे नजदीक लखनऊ में है।

घटना के दौरान

इस प्रकार की किसी आपात स्थिति में गठित दस्ते पूर्व सुसज्जित होकर घटना सिल का प्रस्थान करें। ये दस्ते शिफ्टों मे काम करेंगें। विभिन्न दस्ते एवं इनकी जिम्मेदारीयों इस प्रकार होंगी :–

1. खोजी टीम– यह टीम मुख्य रूप से विकिरण स्थल एवं उसके स्तर की जांच के लिए उत्तरदायी होगी। यह टीम जन हानि का आंकलन भी करेगी। जांच के लिए नमूने

लेकर उसे प्रयोगशाला भेजने के साथ ही किसी संदेह की दशा में अपनें वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेगी। किस क्षेत्र में राहत कर्मी जा सकते है और कितना क्षेत्र प्रतिबंधित होना है, का निर्धारण भी यही टीम करेंगी।

2. विसक्रंमण टीम– यह टीम प्रभावित व्यक्तियों, उपकरणों एवं क्षेत्र के विसक्रमण के लिए उत्तरदायी होगी। यह टीम घायलों को मेडिकल टीम को देगी । कम घायल अथवा सामान्य व्यक्तियों को मेडिकल सलाह के आधार पर जाने दिया जायेगा। विसक्रंमण के लिए इस्तेमाल पानी को टेंको में सुरक्षित रखा जाएगा तथा उसका निस्तारण पूर्व निर्धारण सिल पर किया जाएगा। क्षेत्र को सामान्य घोषित करने के पूर्व सघन सर्वे भी यह टीम करेगी।
3. बचाव एवं विस्थापन टीम– यह टीम मुख्य रूप से लोगों के विस्थापन एवं सहायता के लिए जिम्मेदार होगी, जिन्हें विसंक्रमित सीान पर ले जाया जाएगा। लोगों को सही सूचानाएं देकर अफवाहों पर विराम लगाएगी तथा पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुॅचाएगी।
4. मेडिकल टीम– यह टीम घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए एवं गम्भीर रोगियों को चिन्हित कर अस्पताल भेजवाने हेतु जिम्मेदारी होगी। विसंक्रमण टीम को मेडिकल सहयोग देगी तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में सहयोग देगी।
5. समन्वयी टीम– उक्त सभी टीमों के कार्यो में समन्वय रखने, शिफ्टवार कार्य सुनिश्चित कराने तथा सूचनाओं के सही आदान–प्रदान के लिए सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में यह टीम कार्य करेगी।

घटना के उपरान्त

- घायलों एवं पीड़ितों को हटाने के बाद क्षेत्र एवं चल, अचल सामग्री विसक्रमित की जायेगी। मृतकों के शरीर प्लास्टिक बैग में पूर्व निर्धारित सीानों या मोर्चरी में ले जाया जायेगा।
- मिटट्ी, वायु एवं जल में विकिरण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत इन्हें विसक्रंमित किया जायेगा।
- विसंक्रमण के लिए रेडियोएक्टिव सामग्री को मशीनों से इक्ट्ठा किया जाएगा तथा धूल को वैक्यूम क्लीनर से हटाया जाएगा। क्षेत्र को पानी से धुल कर भी विसंक्रमित किया जाएगा।

परमाणु आपदा–प्रबन्धन हेतु चेकलिस्ट

1. बचाव एवं राहत कार्यो का चिन्हांकन।
2. विस्थापन एवं पुर्नवास की आवश्यकताएं।
3. विशेषज्ञ टीमों की व्यवस्था, शिफ्टवार ड्यूटी।
4. उपकरणों एवं संसाधनों को विसंक्रमण से बचाना।

5. लाउडस्पीकर, टॉर्च, जनरेटर, प्लास्टिक बैग, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, गैस मॉस्क आदि का उपयोग।
6. संक्रमित क्षेत्र को पृथक करना।
7. विस्थापन, मार्ग, परिवहन आदि।
8. विसंक्रमण।
9. संचार व्यवस्था।
10. रेडियोएक्टिविटी का स्तर।
11. मानव, पशु, शवों एवं संक्रमित वस्तुओं का निस्तारण। निस्तारण बैग में सील करके पूर्व निर्धारण स्थल पर ही किया जाय।
12. संक्रमित वस्तु, वस्तुएं हटायी जांय तथा लोगों को विसंक्रमित करके ही कहीं जाने दिया जाय।
13. घटना का विवरण संक्षेप में कालक्रमानुसार तैयार करना।
14. निषिद्व क्षेत्र में जाने–आने वाले हर व्यक्ति का अभिलेखीकरण किया जाएगा। नाम, जाने/आने का समय, कारण आदि।
15. प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रवेश के समय अभिलेखीकरण किया जाय तथा उसकी जाने एवं आने के समय रीडिंग ली जाय।

लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि की कार्य योजना

इस तरह की आपदाओं से निबटने के लिए कम समय (0–3 वर्ष) में निम्न कार्य करने हैं:–

लघु समय (0–3 वर्ष) में निम्न कार्य करने हैं:–

1. सुरक्षा की दृष्टि से विधमान प्रतिबंधों का पूर्व अनुपालन किया जाय।
2. अभिसूचना तंत्र का कुशल उपयोग।
3. खतरे और संवेदनशीलता के विश्लेषण का तंत्र विकसित करना।
4. प्रयोगशालाओं एवं अन्य संसाधनों का विकास/सचल प्रयोगशालाओं का भी प्रयोग
5. फण्ड की उपलब्धता।
6. मेडिकल टीमों का प्रशिक्षण एवं उपकरण।
7. जन–जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
8. स्वास्थ्य सुविधाओं एवं विसंक्रमण तथा विस्थापन की अत्याधुनिक व्यवस्था।

मध्यम समय (0–5 वर्ष) में निम्न कार्य करने हैं:– इस अवधि में मुख्य रूप से प्रथम चरण के कार्यो की पूर्णता एवं कुशलता देखनी है।

दीर्घ काल (0–8 वर्ष) में निम्न कार्य करने हैं:–

इसमें सारे कार्यो का उपयोग देखना है तथा नयी परिवर्तनों के अनुसार उसमें परिवर्तन/संशोधन करना है। इस अवधि तक निम्न बिन्दुओं पर कार्य करने होंगे।

1. एकीकृत व्यवस्था में राष्ट्रीय आपात योजना सरकारी एवं प्राइवेट सभी अस्पतालों पर लागू किया जायेगा।
2. सम्पूर्ण सूचना तंत्र विकसित करना, जिसमें अस्पताल परिवहन, पुलिस, फायर आदि सभी आपातकालीन सेवाओं से संचार सम्बन्ध हो।
3. सभी प्रकार के खतरों को शामिल करने वाला प्रयोगशाला का राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित किया जाना।

क्या करें – क्या न करें

क्या करें परमाणु हमला या दुर्घटना के पूर्व–

1. संक्रमण फेलाने वाले व्यक्तियों/पदार्थो से दूर रहें।
2. आवास में एक वेसमेट बनाए या चिन्हित करें जहॉ पर पूरा परिवार रह सकें।
3. यदि वेसमेंट न हो तो घर के सामने गढ़ढा खोदकर बंकर बना लें।
4. घर पर नष्ट व खराब न होने वाले खाध एवं पेय पदार्थ सुरक्षित रखें।
5. शरणालय में मूत्रालय व शौचालय की भी व्यवस्था रखें।
6. पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रखें।
7. बैट्री संचालित रेडियों रखें।
8. खिड़कियों एवं शीशे के दरवाजों पर काला पेपर चिपका दें।

क्या करें परमाणु हमला या दुर्घटना के दौरान–

1. 4 से 5 फीट गहरें गढ्ढे की तलहटी में गामा विकिरण से बचाव हो सकता है।
2. प्रकाश एवं गर्मी से सुरक्षा का कार्य बाग अथवा जंगल में हो सकता है।
3. यदि खुले में है तो तत्काल जमीन पर लेट जाय तथा तब तक पड़े रहे जब तक मिट्टी, कंकड़, लकड़ी के टूकड़ें गिरना बन्द न हो जाय।
4. आंख एवं चेहरे को हाथों से ढ़क ले।
5. कानो को भलीभॉति अंगुली से बन्द कर लें।
6. यदि वाहन में है तो प्रकाश होने पर चेहरा नीचे कर वाहन से दूर प्रकाश की दिशा में जमीन पर लेट कर शरण लें।

क्या करें परमाणु हमला या दुर्घटना के बाद–

1. चोट एवं जलन तथा क्षति अत्यथिक घबडाहट पैदा कर सकते है। अतः मानसिक दृष्टि विस्फोट में बच गये है तो विकिरण के खतरे की आशंका कम हो जाती है।
2. छोटी मोटी आगों को फैलने से पहले बुझा दें।

इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिएStandrad Operstion System (SOS) इस प्रकार है।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–

कमांक	अधिकारी/संस्था	घटनरा के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1	कलेक्टर/जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा,आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिकया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण
2	पुलिस अधीक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रासायनिक पदार्थों के भण्डारण, परिवहन पर सतर्क दृष्टि रखना तथा अभिसूचना एकत्र करना	खोज, बचाव, राहत , विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिकया टीमों को स्थल पर भेजना । कानून व्यवस्था , ट्रफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना	विस्थापन क्षेत्र की घेराबन्दी, शरणालय/राहत केन्द्र, अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवश्यकतानुसार सैन्य/अद्धसैन्य बलों की मॉग, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शवों का निस्तारण
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणें एवं अन्श्रय आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। प्रभावित क्षेत्रों को विसकंमित करना। परीक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत शिविरों/शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था। पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4	अपर जिलाधिकारी वि./रा.	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आपात कालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	राजस्व, विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत साम्रगी, राहत शिविरो की व्यवस्था।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीडितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि कार्य

5	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	पीड़ित व्यतियों को राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/ पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचनाकरण, रिपोटिंग आदि करना।
6	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेय जल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल स्रोतों की मरम्मत।
7	विद्युत विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अपने विद्युत केन्द्रों पर अवॉछनीय व्यक्तियों को प्रवेश से रोकें तथा ऐसे किसी प्रसास की सूचना तत्काल पुलिस को दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विद्युत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिविरों में विद्युत आपूर्ति।	क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पुननिर्माण।
8	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आवश्यक आघुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिष्चित करना। ट्रन्सपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना	मांग के अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थेक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण। पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर बिग्रड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपालब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणें/संसाधनों के साथ पहुॅचकर राहत एवं बचाव कार्य करना	पुनर्वास कार्यों में मदद करना
11	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय, सूचनाओं का आपदा प्रदान
12	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य

जैविक आपदा प्रबन्धन

विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस प्राकृतिक रूप से फसल, पशु एवं मानव को महामारी के रूप में क्षति पहुॅचाते है। युद्व में शत्रु और आतंकवादी भी इस प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस आदि का प्रयोग करके आपदा जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते है। भौगोलिक सीमाओं से परे ये मानव में, पशुओं से मानव में और फसलों से मानव में फैल सकते है।

एन्थ्रेक्स, छोटी चेचक, प्लेग, स्वाइन फ्लू, एड्स, कालरा आदि इसके उदाहरण है। लगभग 17 देश जैविक हथियारों पर काम कर रहे। कई छोटे–बड़े आतंकवादी गुटों के पास भी जैविक हथियार होने का अनुमान है। कोई भी व्यक्ति, पशु–पक्षी या पेड़–पौधा प्राकतिक रूप से ये रोग फैला सकते है। यह जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकते है। भारतीय संदर्भ में इसके खतरे के क्षेत्र चिन्हित करने में ध्यातव्य बिंदु हैः–

1. रेगिस्तानी, हिमालयी क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर हमले की आशंका कम हैं, किन्तु नौ सेना बेस या ऐसा मिलिट्री/नागरिक ठिकानों जो भौगोलिक रूप से पृथक हो निशाना बनाया जा सकता है।
2. आतंकवादी एन्थ्रेक्स जैसा जैविक हथियार नागरिक क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकते है।
3. बर्ड फ्लू से पोल्ट्री उद्योग को व्यापक क्षति पहुॅची। साथ ही मनुष्यों को शारीरिक क्षति और परेशानी हुई। इस प्रकार कृषि उत्पाद और पशु–पक्षी भी निशाना बनाए जा सकते है।
4. शहरी क्षेत्रों में अत्याधिक जनसंख्या घनत्व इस प्रकार के रोगों की स्थिति में आतंक के साथ ही रोग के वास्तविक फैलाव में अहम् है। जैसे 1994 में सूरत में फैला प्लेग रोग।

इसका असर दो प्रकार से हो सकता है। एन्थ्रेक्स की श्रृंखला नहीं बनती, जबकि छोटी चेचक, प्लेग की श्रृंखला बनती है।

निरोधात्मक उपाय

क्षमता, मानव संसाधन विकास– प्रशिक्षण, नियंत्रण कक्षों की व्यवस्था तथा प्रशिक्षित व्यक्ति इन स्थानों के लिए। शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शनी, प्रतियोगितांए होनी चाहिए। सभी प्रशिक्षिण छद्म प्रर्दशन/अभ्यास पर केन्द्रित होना चाहिए तथा जन सहभागिता जागरूकता एवं प्रशिक्षण के साथ ही इस बिंदु पर भी केन्द्रित होना चाहिए कि किसी भी तरह उत्तेजना/अफवाह न फैलने पाये। सावधानियां एवं रहन–सहन, मृत्यु की दशा में निस्तारण आदि का व्यापक प्रचार प्रसार।

आधार भूत सुविधाओं का विकास–

1. हर स्तर पर प्रयोगशालों का एक नेटवर्क तथा जिला स्तर पर निदान केन्द्र/प्रयोगशालाओं का केन्द्रीकृत व्यवस्था की तरह विकास किया जाना होगा।
2. विभिन्न सस्थाओं की एक केन्द्रीकृत व्यवस्था जो इस तरह की आपातिक स्थिति से निबटने में कुछ **सिस्टम** विकसित करें।
3. विद्यमान आपातिक संचारत्पन्न, स्वास्थ्य तंत्र, प्रेस मीडिया तथा **संचार** का नेटवर्क बनाना तथा अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं से जोड़ना।
4. हर स्तर पर मेडिकल प्लानिंग, चिन्हित अस्पतालों को चिन्हित करना, मोबाइल टीमें विकसित करना, इन बस में पर्याप्त दवाएं, सुसज्जित स्टॉफ आदि।
5. चिन्हित क्षेत्रों में सूचना प्राप्त होने पर पानी, भोजन, स्वच्छता–सामग्री आदि की आपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था।
6. मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों पर प्रभाव के आंकलन एवं उससे निबटने के वैकल्पिक उपायों का विकास। वैकल्पिक आवास, परिवहन, चारा/भोजन संग्रह।

बचाव

सर्व प्रथम बचाव की बात आती है। बचाव के विभिन्न पहलू है :–

1. **संवेदनशीलता का परीक्षण एवं खतरे का मूल्यांकन**– विद्यमान रोग जो महामारी का रूप ले सकते हैं, या फिर से फैल सकते हैं या जानवरों के रोग जो मनुष्य में हो सकते है की जानकारी होनी चाहिये। महत्वपूर्ण स्थान पर प्रवेश में सावधानी तथा लक्षण प्रकट होने पर गहन पर्यवेक्षण आवश्यक होगा। जानबूझ कर ऐसे रोग फैलाने/युद्व/आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर प्रतिरोध/पूर्व से ही प्रत्याक्रमण द्वारा रोकथाम का प्रयास किया जा सकता है।
2. **पर्यावरण सुरक्षा**–पानी के श्रोतों पर सत्त निगरानी होनी जरूरी होगी। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सफाई, रोग वाहक वायरस–नियंत्रण, शव निस्तारण आदि भी महत्वपूर्ण बिंदु है। रोगवाहन वायरस/मक्खी, मच्छर नियंत्रण के लिए उनके उत्पादन स्थान पर सफाई, फैगिंग आदि की जा सकती है।
3. **आपदा के बाद महामारी की रोकथाम**–किसी आपदा के बाद महामारी की आशंका/संभावना अधिक रहती है।
4. **एकीकृत रोग गिरानी व्यवस्था** (IDSP Integrated Disease Surveillance Systems) – वर्तमान व्यवस्था को पूरे देश में फैलाना होगा। निरन्तर आंकड़ों का आदान प्रदान एवं उनका विश्लेषण जरूरी होगा।
5. **टीकाकरण**–ऐसी दवाएं और उनका उत्पादन करने वाली संस्थाए चिन्हित कर उनका उत्पादन और टीकाकरण का कार्य करना होगा।

6. स्कूल, कॉलेज बंद करना, मेला आदि पर रोक, कार्यालय, सिनेमा हॉल बंद कर काफी हद तक रोगों के प्रसार को विलम्बित किया जा सकता है।

1. **क्षमता विकास**– केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर एकीकृत निर्देशन व्यवस्था होनी चाहिए।
    - ग्राम से जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर तक उपयुक्त फार्मेट में सूचना आदान–प्रदान व्यवस्था।
    - नियंत्रण कक्ष, पर्याप्त सूचनाओं, संसाधनों और स्टॉफ के साथ।
2. प्रशिक्षण एवं शिक्षा–सभी स्टाफ को पर्याप्त प्रशिक्षण, प्राकृतिक और आतंकी रोग में अंतर करने की क्षमता आदि होनी चाहिए।
3. **जन जागरूकता एवं सहभागिता**– क्या करें/न करें की शिक्षा, जिसमें सफाई, खान पान, आदि तथा सूचनाओं को उचित रूप से पहुॅचाने हेतु निर्दिष्ट करना और सरकारी संगठनों का सहयोग एवं स्वयं सेवा संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है। स्कूल–ड्रामा, प्रतियोगिता, पेंटिग आदि द्वारा जागरूकता फैलायी जा सकती है।
4. चिकित्सा मुख्य रूप से अस्पतालों में होगी। इस कारण अस्पतालों की सूक्ष्म–योजना तैयार होनी चाहिए। आधार भूत संरचानाएं।

1. प्रयोगशालाओं का नेटवर्क–वर्तमान प्रयोगशालाओं को सशक्त करना होगा और जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर रोगों की पहचान आदि के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना भी करनी होगी। राष्ट्रीय जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना समय की मांग है।

विभिन्न स्तरों पर निम्न जरूरतों के हिसाब से प्रयोगशालाओं की जरूरत है–

1. जिला स्तर पर प्रयोगशाला जो रोग के कारण का पता लगा सके।
2. मेडिकल कालेज स्तर पर प्रयोगशालाएं–रोग निदान को सुनिश्चित करने एवं संदेह की स्थिति में गाइड करने हेतु।

स्वास्थ्य सम्बन्धी तैयारियां

ये तैयारियां स्टॉफ एवं प्रथम सूचना देने वालों के टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए निम्न पर केन्द्रित होगी–

- पूरा अस्पताल खाली कराया जा सकता है।
- न्यूनतम 50 से 60 मरीजों के इलाज की व्यवस्था हो तथा इसके लिए स्थान, उपकरण, स्टॉफ आदि हो।
- एम्बुलेंस।
- संचार साधन।
- सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों के मध्य नेटवर्किंग।
- मोबाइल दस्ते एवं मोबाइल अस्पताल।
- आवश्यक दवाओं/उपकरणों का भंडारण।
- त्वरित प्रतिक्रिया।

- मरीजो को लाना, पहुॅचाना।
- खतरे से सावधान करना।
- खतरे वाले क्षेत्रों में आवश्यक सावधानी/चिकित्सा।
- मानसिक–सामाजिक देखभाल के प्रबन्ध।
- हर कार्य के परिणाम की मोनीटरिंग और मूल्यांकन।

कृषि क्षेत्र में आपदा–प्रबंधन

कृषि एवं खाध उघोगों में प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त जानबूझ कर आतंकी गतिविधियां की जा सकती है। क्षतिकारक कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस के अतिरिक्त खाद्य पदार्थो को भी जहरीला बनाया जा सकता है। आतंकी दृष्टि से यह अन्य हमलों से खतरनाक है।

वर्तमान तैयारी–कृषि मंत्रालय के अधीन देना में अर्न्तराष्ट्रीय हवाइ अड्डों पर 29 जॉच केन्द्र है जो आयातित अनाज, बीज और अन्य कृषि उत्पादों की जांच करते है, किन्तु इनमें से कुछ के पास पर्याप्त संसाधन नही है।

भविष्य के लिए एक आपातकालीन केन्द्र बनाना होगा जो इस प्रकार की परिस्थतियों में समन्वय का काम करें। कोई आपात स्थिति न होने की दशा में यह निगरानी और अर्न्तराष्ट्रीय अनुभावों पर कार्य कर सकता। यह केन्द्र अति सुरक्षित होना चाहिए तथा संवाद की अत्याधुनिक सुविधाएं भी इसमें होनी चाहियें।

कार्य विभाजन –

हमले के दौरान विभिन्न टीमें गठित कर कार्य निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा।

1. जांच दल– इसका मुख्य कार्य खतरे की पहचान एवं उसका निर्धारण करना होगा। यह दल सक्रमंण/खतरे के श्रोत को न्यूट्रल करेगा साथ ही प्रयोगशाला में नमूनों की जांच एवं परीक्षण हेतु कार्यवाही भी करेगा।
2. विसक्रंमण दल– यह दल संक्रमण/खतरे पर नियंत्रण के साथ ही व्यक्तियों/उपकरणों एवं क्षेत्र का विसंक्रमण/सफाई भी करेगा।
3. बचाव दल–यह दल क्षेत्र खाली करने के साथ ही लोगों की समस्या के अनुसार रास्ता आदि बताने में सहयोग करेगा। घायलों का अस्पताल पहुॅचाना तथा मेडिकल टीम का सहयोग करना इसका कार्य होगा।
4. चिकित्सा दल– दुर्घटना स्थल पर यथासम्भव चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार देगा तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में भी सहयोग करेगा।

5. सुरक्षा अधिकारी– सुरक्षा एवं सूचानाओं के आदान–प्रदान के लिए अधिकारी होना चाहिए, जो सभी में समन्वय एवं अनुशासन रखें। अतिरिक्त संस्थानों की निम्नवत् व्यवस्था भी यह अधिकारी करेगा जैसे– जनरेटर, पेयजल, एम्बुलेंस, वाहन, मानव श्रम।

क्या करें जैविक हमला या दुर्घटना के दौरान–

1. शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें। नाखून कटे हो तथा खाने के पहले हाथ साबुन से धोये।
2. पानी उबालकर के पियें।
3. सुरक्षित सब्जियों आदि एवं खाद्य पदार्थो का सेवन करें।
4. उपलब्ध टीकाकरण का उपयोग करें।
5. नई सब्जियों को डिटरजेंट से धोकर पकाये।
6. किसी तरह की बीमारी की सूचना आपदा प्रबंन्धन नियन्त्रण कक्ष अथवा स्वास्थ्य विभाग को दें।
7. संक्रमित खाद्य पदार्थो, वस्तुओं, फसलों इत्यादि को नष्ट करने में सहयोग प्रदान करें।
8. मच्छरदानी का प्रयोग करें।

क्या न करें–

किसी प्रकार का अपशिष्ट विशेष रूप से खाद्य अपशिष्ट एकत्रित न होनें दें।

1. पानी एकत्रित न होने दें।
2. संक्रमित अथवा बासी खाद्य एवं पेय पदार्थो का सेवन न करें।

जैविक आपदा प्रबन्धन के लिये स्टैण्डर्ड आपरेटिंग सिस्टम (SOP)

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटनरा के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1	कलेक्टर/जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा,आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिष्चित कराना, प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिकया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण
2	पुलिस अधीक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।अभिसूचना एकत्रीकरण सैन्य/अर्द्ध सैनिक बलों से समन्वय। पूर्व सूचना पर चिन्हित लोगों का आवागमन नियमित/प्रतिबंधित	खोज, बचाव, राहत , विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिकया टीमों को स्थल पर भेजना । कानून व्यवस्था , ट्रफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना	विस्थापन क्षेत्र की घेराबन्दी, शरणालय/राहत केन्द्र, अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवश्यकतानुसार सैन्य/अद्धसैन्य बलों की मॉग, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शवों का निस्तारण

3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, उपकरणें एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय। रोगों पर सतर्क दृष्टि रखना।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणें एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। प्रभावित क्षेत्रों को विसक्रमित करना। परीक्षण हेतु नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत शिविरों/शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था। पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4	अपर जिलाधिकारी वि./रा.	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आपात कालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	राजस्व, विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत साम्रगी, राहत शिविरो की व्यवस्था।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीडितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोटिंग आदि कार्य
5	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	पीड़ित व्यतियों को राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/ पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचनाकरण, रिपोटिंग आदि करना।
6	जल निगम	परमाणु हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेय जल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल स्रोतों की मरम्मत।
7	कृषि विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जैविक लक्षणों पर सत्त दृष्टि रखना।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की फसलों के रोगों का चिन्हींकरण एवं उपचार, जिससे उन रोगों का प्रसार पशुओं एवं मनुष्यों में न हो सके।	रिपोर्टिंग आदि की समुचित व्यवस्था
8	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रन्सपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना	मांग के अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित कराना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।

		पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण		
10	फायर बिग्रड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपालब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणें/संसाधनों के साथ पहुॅचकर राहत एवं बचाव कार्य करना	पुनर्वास कार्यों में मदद करना
11	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय, सूचनाओं का आदान प्रदान
12	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य

अग्निकांड

जनपद मैंनपुरी के लिये इस आपदा की प्रासंगिकता है। इस कारण इसे आपदा प्रबन्धन योजना में शमिल किया गया है। इस दिशा में निम्न कार्यवाही कार्य योजना में शामिल की जानी आवश्यक हैः–

1. वाहनों की संख्या बढ़ाया जाना।
2. सभी विद्यालयां/बड़ी संरचनाओं में फायर फाइटिंग व्यवस्था।
3. कर्मचारियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण एवं अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराया जाना।

अग्निकांड से बचाव हेतु क्या करें

अपने मकान/स्थान को खाली करने की पूर्व योजना दिमाग में रखें तथा पूर्वाभ्यास भी करें।

1. मकान/स्थान से निकलने के दो मार्ग सोचकर रखें।
2. फायर एक्सट्युगिसर लगवाए तथा चलाना भी जानें।
3. आग/कार्बनमोनोंआक्साईड एलार्म लगवाए तथा उसे ठीक दशा में रखें।
4. मकान/स्थान के बाहर किसी खुली जगह में मिलने का स्थान भी सोचकर रखें।
5. मकान में एल0पी0जी0 गैस की पाइप खराब होने से पहले बदल दें।
6. बच्चों को ज्वलनशील पदार्थ से दूर रखें।

क्या करें अग्निकांड के दौरान–

1. आग या कार्बनमोनोआक्साईड की सूचना पर शान्ति से किन्तु जल्दी मकान/स्थान खाली करें।
2. कोई वस्तु/दरवाजा छूने से पहले समझ लें कि वह बहुत गर्म न हो।
3. धुवें की स्थिति में जमीन/फर्श से सटकर रहें क्योंकि धूवॉ ऊपर उठता है।
4. फायर/पुलिस से सम्पर्क करें।
5. पेट्रोल से लगी आग पर पानी काम नहीं करता तथा विधुत से लगी आग में पानी डालने पर बिजली फेलने का खतरा रहता है। अतः पेट्रोल से लगी आग में मिट्टी/बालू का इस्तेमाल करें तथा बिजली से लगी आग में विद्युत कनेक्शन काटने के बाद पानी डालें।

क्या करें अग्निकांड के उपरान्त

1. घायलों को खुले एवं उन्हें स्थान पर रखें तथा निकटतम चिकित्सालय पर ले जाय।

क्या न करें–

1. जलती मोमबत्ती, अगरबत्ती, गैस, अलाव, चूल्हे, बीडी या सिगरेट जलती न छोड़ें।
2. घर में अनावश्यक एवं अधिक मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ न रखें।
3. घटना के दौरान घबडाऐं नहीं।
4. बिजली के तार पर कपड़े न फैलाए।
5. सड़क पर बिजली विभाग के गिरे तारों की उपेक्षा न करके तत्काल विभाग को सूचित करें।
6. फसलों के मौसम में खेतों के पास आग न जलाए।

भूकम्प

जनपद मैंनपुरी में भूकम्प का कोई इतिहास नहीं है, किन्तु सवेंदनशीलता की दृष्टि से प्रभारी योजना बनाया जाना आवश्यक है।

भूकम्प से होने वाली क्षति का सबसे बड़ा भाग मकानों के टूट कर गिरने के कारण होता है। मकानों के टूटने से होने वाली सम्पत्ति की क्षति के साथ इसके मलवे में दब कर व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है और इससे स्थिति अत्यधिक भयावह हो जाती है। इसी कारण–

भूकम्प से सम्बन्धित आपदा के बचाव हेतु भूकम्परोधी मकान बनाना मुख्य योजना से शामिल किया गया है। इसके लिये लोगों के प्रशिक्षण एवं जागरूकता के साथ ही पर्याप्त संख्या में दक्ष अभियंता, नगर नियोजक एवं क्रियान्वयी संस्थाओं की आवश्यकता है। भारतीय मौसम विभाग (Indian Metrological Deporment) भूगर्भ अध्ययन एवं पर्यवेक्षण की नोड़ल ऐजेन्सी बनायी गयी है तथा Bureau of Indian Standard भारतीय मानक ब्यूरो को भूकम्प रोधी मकानों की विधि एवं अन्य सुरक्षा मानकों हेतु नोडल बनाया गया है।

पूर्व तैयारी

बचाव–

1. कमजोर/पुराने/अनुरक्षित ढ़ांचों का चिन्हीकरण।
2. पुल आदि भूकम्प रोधी।
3. बिल्डिंग प्लान लागू करना।
4. इंजीनियरों का प्रशिक्षण/मिस्त्रियों का प्रशिक्षण।
5. तहसील/विकास खण्ड/ग्राम/विधालय स्तर पर प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास।
6. चिकित्सीय तैयारियां।
7. शारणालयों का चिन्हांकन।

क्या करें भूकम्प के पूर्व–

1. अपने परिवार को भूकम्प के खतरों से अवगत करायें तथा बचाव के तरीके भी बताएं।
2. स्थानीय पुलिस थाना, फायर स्टेशन, अस्पताल का फोन नम्बर रखें।
3. बच्चों को बताएं कि आपात स्थिति में वे स्कूल में ही रूकें।
4. पूर्व सूचना की दिशा में आपातकालीन किट एवं कुछ खाद्य व पेय पदार्थ अपने साथ रखें।
5. अपना घर/कार्यालय भूकम्परोधी बनवाएं।

क्या करें भूकम्प के दौरान

1. यदि समय हो तो घर/मकान से बाहर किसी खुली जगह में जहॉ बिजली के पोल व पेड़ आदि न हो पहुंचे।
2. मकान में ही दरवाजा व मेज आदि के नीचे शरण लें।

क्या न करें–

1. अफवाह न फैलाएं।
2. किसी व्यक्ति या समुदाय, संस्था को दोषारोपण न करें।
3. यदि यात्रा में है तो वाहन पुल या ओवर ब्रिज आदि के ऊपर या नीचे न रखें।

आपदा प्रबन्धन के लिए स्टैण्डर्ड आपरेटिंग सिस्टम

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1	कलेक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा,आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण
2	पुलिस अधीक्षक	खोज, बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अभिसूचना एकत्रीकरण सैन्य/अर्द्ध सैनिक बलों से समन्वय। पूर्व सूचना पर चिन्हित लोगों का आवागमन नियमित/प्रतिबंधित करना।	खोज, बचाव, राहत , विसंक्रमण आदि त्वरित प्रतिक्रया टीमों को स्थल पर भेजना । कानून व्यवस्था , ट्रफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना	विस्थापन क्षेत्र की घेराबन्दी, शरणालय/राहत केन्द्र, अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवश्यकतानुसार सैन्य/अद्धसैन्य बलों की मॉग, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शवों का निस्तारण
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, उपकरणें एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय। रोगों पर सतर्क दृष्टि रखना।	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणें एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना। जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। प्रभावित क्षेत्रों को विसक्रंमित करना। परीक्षण हेतु नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना। राहत शिविरों/शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था। पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4	अपर जिलाधिकारी वि./रा.	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आपात कालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	राजस्व, विकास एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं संसाधनों को एकत्रित कर उनका उपयोग करना। आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत साम्रगी, राहत शिविरो की व्यवस्था।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीडितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोटिंग आदि कार्य
5	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	पीड़ित व्यतियों को राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/ पीड़ितों/मृतकों आदि की सूचनाकरण, रिपोटिंग आदि करना।
6	जल निगम	परमाणु हमले से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेय जल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना। इसके लिए मुख्य चिकित्सा	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल स्रोतों की मरम्मत।

			अधिकारी का सहयोग लेना।	
7	लोक निर्माण विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।		क्षतिग्रस्त भवनों पुलों, सड़कों आदि की मरम्मत/निर्माण करना। क्षति का मूल्यांकन कर आंकलन के अनुसार धन की मांग करना।
8	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रन्सपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना	मांग के अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण। पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित कराना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर बिग्रड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपालब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणें/संसाधनों के साथ पहुॅचकर राहत एवं बचाव कार्य करना	पुनर्वास कार्यों में मदद करना
11	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय, सूचनाओं का आदान प्रदान
12	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य
13	विकास प्राधिकरण एवं शहरी नगर निकाय	भूकम्प रोधी मानकों का दृढ़ अनुपालन, कमजोर ढ़ाचों को चिन्हीत कर उनके सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करना।		अपने संसाधनों से मलवा आदि की सफाई का कार्य।
14	विकास विभाग			आवासहीनों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।

चक्रवात

वातावरण में कम दबाव का क्षेत्र बनने से तेज हवायें उसके चारों ओर चलने लगती है, जिससे चक्रवात आते है। चक्रवात में तेज ऑधी एवं खराब मौसम का भी आगमन होता है। उत्तरी गोलार्थ में यह हवा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्थ में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। हवा की गति जितनी तेज होती है, नकुशान की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। भारत के संदर्भ में चक्रवात का सर्वाधिक दुष्प्रभाव अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में पड़ता है। मैंनपुरी जनपद में भीषण चक्रवात का कोई इतिहास नहीं रहा है। तेज ऑधी एवं तूफान से पेड़ गिर जाते हैं। पेड़ के गिरने से विद्युत के खम्भे एवं तार टूट जाते है, जिससे बिजली की समस्या पैदा होती है तथा करेण्ट से यदा कदा दुर्घटनायें हो जाती है। पेड़ों एवं कच्चे मकान/मड़ई के गिरने से जन हानि भी हो जाती है।

पूर्व तैयारी–

1. पूर्व सूचना प्रणाली–भारतीय मौसम विज्ञान विभाग सहित अनेक संस्थायें इस कार्य में लगी है। चक्रवात आने की पूर्व सूचना मिलने से सतर्क दृष्टि रखते हुए जनहानि से बचा जा सकता है।
2. मकानों की संरचना– मकानों के निर्माण के समय उन्हें चक्रवात रोधी बनाया जाय।
3. जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण –जिला, तहसील, विकास खण्ड एवं ग्राम स्तरों पर विभिन्न सरकारी गैर सरकारी एजेंसियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को सामिल कर जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण से चक्रवात से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है।
4. रेन गेजों की स्थापना–परम्परागत रूप से तहसील मुख्यालयों में रेन गेजों की स्थापना हुई है, जिससे वर्षा सम्बन्धी ऑकडे इकट्ठे किये जाते हैं किन्तु आधुनिक संचार प्रणाली के अन्तर्गत रेन गेजों की स्थापना की आवश्यकता है।
5. चिकित्सीय तैयारी– जिला एवं तहसील स्तर पर सचल दस्ता तैयार रहे जिसे आवश्यकतानुसार भेजकर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके।
6. राहत वितरण– पीडितों को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध करायी जाये।

बाढ आपदा प्रबन्धन

इस जनपद में काली नदी, ईसन नदी, सेंगर नदी, अरिन्द नदी व काक नदी बहती है। तहसील भोगॉव के अन्तर्गत काली नदी व ईसन नदी बहती है तथा तहसील करहल के अन्तर्गत अरिन्द, काक व सेंगर नदी बहती हैं। तहसील मैनपुरी में ईसन नदी अरन्दि नदी व सेंगर नदी बहती हैं।

विगत वर्षें के बाढ के इतिहास को देखते हुए बाढ आने पर सबसे अधिक क्षति काली नदी से होती है। वर्ष 1980 के बाद अब तक जनपद को किसी गंभीर बाढ का सामना नहीं करना पडा है।

सुरक्षा सुझावः–

1– घर के सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो।

2– अगर आपका घर बाढ प्रभावित क्षेत्र में हो तो मकान मजबूती से सीमेंन्ट आदि से बनवाऐं। मिट्टी के घर सबसे जल्दी ढह जाते हैं। आप ऐसा घर बनवा सकते हैं जिसकी दीवारें लोकल इटों से उस ऊॅचाई तक बना हो जहॉ तक बाढ आती है।

3– आपात कालीन बाक्स हमेशा अपने पास रखें।

4– एक छोटी रेडियो, टार्च, बैट्री साथ रखें।

5– पानी, सूखा भोज्य पदार्थ (चूडा, मूडी, गुड, बिस्कुट आदि) कैरोसिन तेल मोमवत्ती और माचिस आदि हमेशा स्टाक में रखें।

6– पालीथीन बैग या वाटरप्रुफ बैग आदि रखें जिसमें कपडें, महगे सामान, छाता, चीनी,नमक,प्राथमिक उपचार बाक्स और मजबूत रस्सी अपाने पास हमेशा रखें।

जब बाढ आने की चेतावनी सुनेंः–

1– अफवा पर ध्यान न दें और घबरायें नहीं।

2– सूखे भोज्य पदार्थ, कपडे, पेयजल तैयार रखें।

3– बैलगाडी, कृषि उपयुक्त सामान या मशीन और पालतू जानवर को ऊॅची सुरक्षित जगह पर ले जाए।

4– यह सोच कर तय कर लें कि अगर बाढ आ गई तो कौन सा सामान आप फेंक सकते हैं।

बाढ के दौरानः–

1– उबला हुआ पानी पीए।

2– खाना ढक कर रखें, हल्का भोजन करें।

3– कच्चा चाय,चावल का पानी आदि का दस्त के समय सेवन करें और अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क करें।

4– बच्चों को भूखा न रहने दें।

5– ब्लीचिंग पाउडर आदि से घर के आस पास साफ रखें।

6– अधिकारी की सहायता सामग्री बांटने में मदद करें।

अगर जगह खाली करनी हो तोः–

1– सबसे पहले गर्म कपडें, जरूरी दवाए, कीमती वस्तु, निजी कागज को वाटर प्रूफ बेंक में डाल दें।

2– स्थानीय स्वयंसेवक(अगर हो तो) को सूचित करें आप जहॉ जा रहे हैं।

3– सबसे ऊपर बिजली के सामानों को रखें।

4– मेंन पावर बंद कर दें।

5– चाहे आप रहे या सुरक्षित जगह पार जाए, पर शौचालय में बालू से भरी बोरियां डाले और नाली या किसी भी प्रकार के छेद को कपडें से बन्द कर दें, ताकि पानी वापस ना आए।

6– घर में ताला लगाए और बताए हुए सुरक्षित रास्ते का उपयोग करें।

7– अगर पानी की गहरायी की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पास करने की कोशिश न करें।

अगर बाढ के दौरान आप घर पर ही रूके हो या वापस लौटे हो तोः–

1– रेडियों द्वारा ताजा जानकारी व सुझाव लेते रहें।

2– बच्चों को बाढ के पानी के पास या पानी में न खेलने दें।

3– बाढ के पानी में जाने से बचें।

4– अगर पार करना आवश्यक हो तो जरूरी कपडे व जूते पहने गहराई व बहाव को लकडी की सहायता से जॉचे।

5– बिजली वाली वस्तुओं का इस्तेमान ना रकें जब तक कि उसे जांचा न गया हों, हो सकता है उसमें बाढ का पानी चला गया हो।

6– वैसा कोई भी भोज्य का सेवन ना करें जो कि बाढ के पानी से प्रभावित हुआ हो।

7– नल के पानी को उबालकर तब तक पीऐं जब तक कि जल विसभाग उसे सुरक्षित न घोषित कर दें। हैण्पम्प का पानी जमा करें और क्लोरीन पानी में डाल कर पीयें।

8– सांप से बच कर रहें।

बाढ आपदा में बनायी गयी कार्य योजना (SOP) एवं उसके लागू करने के दायित्य इस प्रकार हैं:–

कमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1	कलेक्टर/जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा,आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण।	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रया।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण
2	पुलिस अधीक्षक	चिन्हित स्थलों पर वायरलेस सेट की व्यवस्था करना	खो, बचाव, राहत कार्यों में सहयोग करना। बॉघों की सुरक्षा, पेट्रोलिंग	शरणालयों में पुलिस प्रबन्ध
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल को प्रशिक्षित कराना एवं उनका पूर्वाभ्यास करना चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रोगों पर सतर्क दृष्टि रखना	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल को राहत किट, उपकरणें एवं अन्श्रय आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना	चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना, राहत शिविरों/शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था
4	अपर जिलाधिकारी वि./रा.	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण। तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करना। जन जागरूकता, प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आपात कालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील करना। आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना, राहत सामग्री, राहत शिविरों की व्यवस्था।	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण। क्षति का आंकलन तथा प्रभावितों/पीडितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोटिंग आदि कार्य
5	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभगों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करनरा।	क्षति का आंकलन तथा प्रभावित/ पीडितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि काकर्य। राहत शरणालय आदि की व्यवस्था करना।
6	जल निगम	बाढ से बचाव हेतु अपने जल श्रोतों एवं पेय जल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना। इसके लिए मुख्य चिकित्सा	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल स्रोतों की मरम्मत।

			अधिकारी का सहयोग लेना।	
7	कृषि विभाग			फसलों की क्षति का मूल्यांकन, कृषकों को अगैती/वैकल्पिक फसलों के बीज/सुझाव आदि उपलब्ध कराना।
8	परिवहन विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ट्रान्सपोर्टरों की सूची एवं उनके फोन नम्बर आदि रखना	मांग के अनुसार अतिशीघ्र वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थेक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण। पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर बिग्रड	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास । आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणें/संसाधनों के साथ पहुॅचकर राहत एवं बचाव कार्य करना	पुनर्वास कार्यों में मदद करना
11	सूचना विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय, सूचनाओं का आदान प्रदान
12	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना	पशुओं कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य
13	बेसिक शिक्षा विभाग		बाढ क्षेत्र के स्कूलों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर देंगें तथा विद्यालयों को शरणालय के रूप में इस्तेमाल करने हेतु उपलब्ध करायेंगें।	
14	बाढ खण्ड	बन्धों का अनुरक्षण, आवश्यक सामग्री का पूर्व से भण्डारण, पूर्वानुमान की सूचना उपलब्ध कराना	बन्धों की सुरक्षा हेतु नियमित पेट्रोलिंग, नियमित जलस्तर एवं पूर्वानुमान की सूचना उपलब्ध कराना	क्षतिग्रस्त बन्धों के मरम्मत/पुर्ननिर्माण की व्यवस्था कराना
15	विकास विभाग			आवासहीनों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना

सूखा

जनपद मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। इसकी अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। खेती हेतु सिंचाई के लिये जनपद में उपलब्ध संसाधन एवं खेती के क्षेत्रफल का विवरण इस प्रकार है।

कृषि क्षेत्रफल– 272723 है0

जनपद में सरकारी चालू नलकूपों की संख्या–448

नहर के कुल टेलों की संख्या–87

उक्त के अतिरिक्त प्राइवेट बोरिंग से सिंचाई की सुविधा है। इसके बावजूद अवर्षण की स्थिति में सूखा की समस्या पैदा हो सकती है। यद्यापि जनपद में सूखे से कभी अकाल या महामारी जैसी स्थिति नहीं आयी है, न ही कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हुयी है, फिर भी फसलों को क्षति के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। पेयजल की भी कोई बड़ी समस्या बिगत वर्षो में नहीं आयी है, किन्तु जलस्तर नीचे चला जाने से कठिनाइयां पैदा होती है।

सूखे के सम्बन्ध मेंSOP निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	अधिकारी/संस्था	घटना के पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
1	कलेक्टर/जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा,आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना	सभी विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रया।	बचाव, राहत कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण
2	पुलिस अधीक्षक			शरणालयों में पुलिस प्रबन्ध
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाइयों, की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रोगों पर सतर्क दृष्टि रखना	राहत शिविरों /शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था	
4	अपर जिलाधिकारी वि. /रा.		बचाव, राहत का प्रभावी अनुश्रवण । क्षति का आंकलन तथा सहायता वितरण	
5	उप जिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागों का अनुश्रवण, जन जागरूकता, प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावित क्षेत्रों की सूचना देना। तहसील स्तरीय विभागों को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।	क्षति का आंकलन तथा प्रभावित/ पीडितों/मृतकों आदि की सूचीकरण, रिपोर्टिंग आदि काकर्य। राहत शरणालय आदि की व्यवस्था करना।
6	जल निगम	पेय जल योजनाओं की सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना कि कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो। संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना।	शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्षतिग्रस्त पेयजल स्रोतों की मरम्मत।

			इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सहयोग लेना।	
7	कृषि विभाग			फसलों की क्षति का मूल्यांकन, कृषकों को अगैती/वैकल्पिक फसलों के बीज/सुझाव आदि उपलब्ध कराना।
8	रसद एवं आपूर्ति विभाग	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण। पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।	मांग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
9	सूचना विभाग		मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय, सूचनाओं का आदान प्रदान
10	पशु चिकित्सा	पर्याप्त प्रशिक्षण, पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणें/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के इलाज सम्बन्धित समुचित व्यवस्था करना	पशुओं के कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण
11	सिंचाई खण्ड	नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।	नहरों द्वारा पानी की आपूर्ति कराना तथा तालाबों का भरना	
12	विद्युत विभाग		विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना	
13	नलकूप खण्ड	नलकूपों को चालू हालत में करना तथा अनुश्रवण कार्य	नलकूपों से पानी की आपूर्ति कराना तथा तालावों को भरना	आवासहीनों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना
14	विकास विभाग		मनरेगा आदि कार्यक्रमों में रोजगार सृजन कार्य	मनरेगा आदि कार्यक्रमों में रोजगार सृजन कार्य

आकाशीय बिजली

वर्षा के मौसम में आकाशीय बिजली से जन धन की हानि होती है।

बज्रपात के दौरान निम्नलिखित सावधानियां ध्यान में रखी जायं।

1. आंधी आने के पहले टीवी, रेडियो, और कम्प्यूटर सभी का मोडेम और पॉवर प्लग निकाल दें।
2. सारे पर्दे लगा दें। खिड़कियॉ बंद रखें। बिजली से चलने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल न करें।
3. टेलीफोन का इस्तेमाल न करें। आपातकाल में फोन करें पर विद्युत चालक वस्तुओं को न छुए। खाली पैर फर्श या जमीन पर न खड़े हों।
4. जब किसी पर बिजली गिरती है तो वो जल नहीं जाता ब्लकि उसके ह्रदय और श्वास नली पर असर होता है।
5. अगर आपके कपड़े गीले हैं तो आप पर बज्रपात का उतना असर नहीं होगा क्योंकि आवेगित चार्ज कण गीले कपड़े से गुजर जाएगा न कि शरीर से।
6. एक ही जगह पर बज्रपात कई बार हो सकता है।
7. बिजली गिरने की आशंका होने पर किसी मकान का सहारा लें। मैदान में या पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योकि प्रायः बिजली कोई आश्रय लेकर गिरती है।
8. बड़े मकानों/संरचनाओं पर तड़ित चालक अवश्य लगवाया जाय।

अनुलग्नक–1

ग्राम स्तरीय कार्य योजना की चेकलिस्ट–

1. गॉव की भौतिक स्थिति।
2. कुल मकान।
3. गॉव के विभिन्न संसाधन।
4. शरणालय, सुरक्षित भवन, मन्दिर आदि।
5. विद्यालय एवं शिक्षा सुविधा।
6. पीने के पानी की सुविधा।
7. चिकित्सीय सुविधा जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
8. गांव की सड़कें।
9. खतरे की प्रवृत्ति एवं सुरक्षित क्षेत्र।
10. ऊर्जा स्थापना।
11. टेलीफोन, पोस्ट आफिस एवं अन्य निर्माण।
12. अत्याधिक ऊॅची भूमियां।
13. चिकित्सा एवं सफाई व्यवस्था की स्थिति।
14. आपदा के अर्न्तगत निर्माण एवं मरम्मत निधि।

15. चिन्हित स्वयं सेवकों का परिचय एवं उनका प्रशिक्षण।
16. चिन्हित सम्पत्ति एवं जनता की सुरक्षा हेतु सावधानी।
17. परिवारों की संख्या, पुरूष, महिला, बच्चे असमर्थ और अति सवेदनशील वर्ग।
18. आजीविका के विभिन्न प्रसाधन, नाव, कृषि उपकरण, खाद्य भण्डारण, करघा तथा कुम्हार का चाक आदि

अनुलग्नक–2

विषनाशक एवं जीवन रक्षक दवायें

1. Inj. Atropine
2. Inj. PAM-20ML
3. Inj. BAL
4. Inj. Sodium Nitrite
5. Sodium Thoisulphate
6. Inj.Amy 1 Nitrite
7. Potassium Chloride Orel
8. Inj. Soda Bicarb
9. Oxegen Cylinder
10. Ambus Bag 250/500 ml.
11. Tab. Paracitamol
12. Tab. Ibubrofen 400
13. Ciprofloxasin Eye Drops/Onit.
14. ORS powder
15. Diazepam

शोधक / विसकंमक पदार्थ

1- Dodium Hypochlorite Soulution-(Storge stabiltiy Limited,not more then a month)*
2- Bleaching Powder- (Storage stability limied,not more than a month)**
3- Potassium Permanganate .
4- Charcoal Powder
5- Caustic Soda.
6- Soap,Detergent and water

7- Fuller s earth

To be replaced every month

To be replaced every 3 months.

सहयोगी उपकरण

1- Public address system.
2- Torch or emergency light.
3- Stretchers.
4- Recovey/refuse bin.
5- Earth digging equipment.
6- Fire fighting extinguishers.
7- Water hoses.

आपात कालीन किट

Detector paper (three colour detector paper)

1- Residual vapour detection kit (Detector Tube)
2- CAM
3- AP2C
4- NBC Suit permeable with hand gloves and boot
5- Casualty Bag full
6- Casualty bag half
7- Gas mask (respirator) with disposable filters
8- Integrated hood mask
9- Canister
10- NBC Suit impermeable (ensemble)
11- Auto Injector (Atropine PAM)
12- Resuscitator
13- Medical kit (First Aid kit Type B)
14- Personal Decontamination kit
15- Portable Decontamination apparatus
16- Decontamination Solution & Decontamination (Appendix-1)

17- Water poison Dctoction Kit (Detcct Cyanidc, Mercury, Nerve agents in water)

अनुलग्नक–3

परमाणु हमले/विकिरण की स्थिति में रिस्पांस टीम के लिए आवश्यक उपकरण एवं यंत्र

1- Ambulance with radiation monitoring and decontaminatio
2- Portable gamma ray spectrometer for isotope dectection
3- Requiremental for aerial survey monitoring
   a- Aerial monitoring system
   b- Monitor, protective equipment,PC/laptop,Etc.
4- Enviromental radiation monitor with Navigational Aid (ERMNA) with montitoring vehicle.
5- Alpha, beta and gamma counting setup.
6- Digital dosimeter
7- GPS for monitoring van
8- T.L. dosimeter
9- Portable contamination monitor
10- CBRN Suit with respirator, rubber clothes, gloves and gum boots
11- Dust mask
12- Comfo respirator
13- Decontamination kit including monitoring facility
14- Potassium lodide/potassium lodide tablets
15- Operational manuals for all equiment training ans guidance literature
16- Protective coverall, cotton gloves, caps, socks and shoes
17- Electric generator
18- Torch
19- Binoculars
20- Miscellaneous sampling kit.(a) charcoal paper and cartridges (for iodine sampling/protection)
   (b) plastic sheet (for packing of contaminted material)

(c) spare batteries –

21- micro R survey meter

22-Mini rad meter

23- GM survey meter

24-Teletector

25-Portable alpha contamination monitor

26-First aid kits

27-Radiation tags/ symbols

28-PA system

29-Buttery operated air sampler with filter paper

30-Cordoning tape

31-Tongs(2ft) and lead flask of 1" thickness and 5" diameter

32-Breathing apparatus set with spar

अनुलग्नक–4

विभिन्न आपदाओं में क्षति/ आवश्यकता मूंल्याकन हेतु प्रारूप–

(क) भूकम्प की क्षति के मूल्यांकन का प्रारूप–

1. घायल/मृत व्यक्तियों की संख्या।
2. घायल/मृत पशुओं की संख्या।
3. पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या एवं अनुमानित मूल्यं।
4. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या एवं अनुमानित मूल्य।
5. विद्युत को हुई क्षति।
6. सड़क, पुल को हुई क्षति।
7. मृत व्याक्तियों/पशुओं के शवों के निस्तारण की समस्या।
8. चिकित्सा सेवाओं की बहाली की समस्या।
9. विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्या।
10. जलापूर्ति में आ रही समस्या।
11. महामारी की समस्या।

12. कानून व्यवस्था की समस्या।
13. परिवहन की समस्या।
14. खाद्य एवं रसद की समस्या।